न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./07/2012/जैसलमेर

अपीलांट

1. ईस्लाम खां पुत्र श्री इब्राहिम खां जाति मुसलमान निवासी गोमट तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.लौगाराम पुत्र श्री अचलाराम का. मु.
1/1श्रीमती नखतू पत्नी स्व.लौंगाराम
1/2दमाराम पुत्र स्व. लौंगाराम
1/3बाबूराम पुत्र स्व. लौंगाराम उम्र 22 वर्ष सर्वे जाति मेघवाल निवासी रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
1/4श्रीमती संताकी पत्नी नन्धाराम पुत्री स्व. लौगाराम जाति मेगवाल निवासी राठौडा जिला जैसलमेर।
1/5श्रीमती गुडडी पत्नी गंगाराम पुत्री स्व. लौंगाराम जाति मेगवाल निवासी लवॉ जिला जैसलमेर।
1/6श्रीमती धाफू पत्नी चेलाराम पुत्री स्व. लौंगाराम जाति मेगवाल निवासी सौठाकौर जिला जैसलमेर
1/7दुर्गा देवी पुत्री स्व. लौंगाराम (विधवा) जाति मेगवाल निवासी रामदेवरा जिला जैसलमेर।
1/8 कुमारी भंवरी पुत्री स्व. लौंगाराम (नाबालिग)।
1/9कुमारी भंवरी पुत्री स्व. लौगाराम (नाबालिग) रेस्पोडेंट संख्या 08 व 09 नाबालिग होने से जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती नखतू पत्नी स्व. लौंगाराम निवासी रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
2.श्री उम्मेदाराम पुत्र श्री अचलाराम जाति मेघवाल निवासी रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व मु.संख्या15 स. 6/2006 बअनवान फातमा बनाम लौंगाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2007 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री एम.आर.बारूपाल रेस्पोडेण्ट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांकः– 29.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की माता श्रीमती फातमा ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का एक दावा पेश किया कि ग्राम दुधिया पटवार मण्डल रामदेवरा के खसरा संख्या 67 रकबा 333.03 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट स्वर्गीय अली खां पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान निवासी गोमट के नाम दर्ज थी। विवादित आराजी वक्त सेटलमेंट अली खां की खातेदारी की भुमि थी जो अली खां के फौत होने पर उसकी विधिक वारिस फातमा के नाम दर्ज होनी थी जो गलत रूप से फकरे खां एवं बाद में रेस्पोडेण्टगण के नाम दर्ज हो गयी। वादीनी स्व. अली खां की पत्नी है अली खां के साथ रहती थी, अली खां की वारिस होने से वादीनी वाग्रस्त प्रशनगत भूमि पर काबिज हुई एवं आज तक उसी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीनी श्रीमती फातमा का देहान्त दिनांक 24.11.2007 को हो गया उसके विधिक उतराधिकारियों को रिकार्ड पर लिये बिना पक्षकार बनाये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री सादिर की है। वाद में तनकीयात ही गलत रूप से कायम की गयी है जिससे तनकीयात सही नहीं बनाने से वाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा तनकीयात को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था उसको साबित करने का भार वादीनी पर कानूनन नहीं दिया जा सकता है जिसे साबित करने का जिम्मा वादिनी पर देने से वाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तनकी संख्या एक में अली खां के जीवनकाल में ही बेचान व हस्तांतरण होना मानने में अधीनस्थ न्यायालय में भारी कानूनी भूल की है Ab initio void इन्द्राज के आधार पर ऐसा बेचान व हस्तांतरण कानून विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अली खां की मृत्यु के समय कानूनन वादग्रस्त भूमि अलू खां की ही थी क्योकि जब तक रेस्पोडेंटगण अपनी सक्षम साक्ष्य से यह साबित नहीं कर देते कि फकरे खां व रेस्पोडेंटगण को बेचान व हस्तांतरण हुआ तक वक्त सेटलमेंट से खातेदार काश्तकार की खातेदारी हल्का पटवारी के इन्द्राज कर देने मात्र से उसके विधिक अधिकार समाप्त नहीं होते है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम धारा 96 सी पी सी अपील पेश करने की इजाजत बाबत प्रार्थना–पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए बताया कि प्रार्थी अपीलांट श्रीमती फातमा का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नाईन्दा पुत्र है, एवं वादिनी का ओर कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, उसका विधिक उत्तराधिकारी प्रार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। अपीलांट की माता का निधन दिनांक 24.11.2007 को हो गया था, वह अपनी मां की गमी हो जाने के कारण समाज की रीति अनुसार घर से 10–15 दिन तक बाहर नहीं आ सका, इसलिए वह अपने अधिवक्ता को उसकी ईतला नहीं दे सका था तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार ही बन सका, जिससे अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध हो गया। अपीलांट यह अपील पेश करने का अधिकारी है। अतः अपीलांट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय से किस प्रकार से प्रभावित है? अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में न तो कारण अंकित किये न ही अपीलांट ने न्यायालय के समक्ष आधार ही स्पष्ट किये। अपीलांट हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार नहीं होने से अपील पेश करने की अनुमति देना न्यायासंगत नहीं है। अपीलांट की अपील प्रार्थना–पत्र 96 सी पी सी पर निर्णत पारित करते हुए प्रार्थना–पत्र बाबत 96 सी पी सी को खारिज करते हुए अपील का अंतमि निर्णय फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना–पत्र धारा 96 सी पी सी पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने अपील/डिक्री/टी.ए./1852/2015/जैसलमेर बअनवान उम्मेदाराम वगैरह बनाम इस्लामखां में अपने निर्णय दिनांक 08.06.2016 के बिंदु संख्या 07 में निष्कर्ष दिया है कि **"इससे स्पष्ट है कि इब्राहिम के देहान्त के पश्चात प्रत्यर्थी की माता फातमा अली खां ने नाते गई थी परन्तु उक्त दस्तावेज को किसी भी साक्ष्य से प्रत्यर्थी की माता फातमा ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष साबित नहीं किया। इसके विपरीत अपीलार्थी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष जैसलमेर विधानसभा के मतदान केन्द्र गोमट की निर्वाचन नामावली सन् 1971, 1980, 1983, 1988, 1993, 1998, 2004 व 2009 की प्रमाणित प्रतियां पेश की जिसमें वादिया के पति का नाम इब्राहिम खां दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी की माता फातमा वादिया इब्राहिम खां की पत्नी है न कि अली खां की पत्नी है।"** वादग्रस्त भूमि अलीखां की है और फातमा अलीखां की पत्नी है ऐसा कोई परीक्षित अभिलेखीय प्रमाण पत्रावली पर नहीं है लिहाजा फातमा को और उसके देहांत के पश्चात उसके पुत्र ईस्लाम पुत्र इब्राहिमखां को उसकी भूमि में हितबद्ध या प्रभावी पक्षकार नहीं माना जा सकता।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलांट अपीलाधीन वादग्रस्त भूमि में हितबद्ध, व्यथित या प्रभावी पक्षकार नहीं है इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी के आवेदन को अस्वीकार कर अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जा सकती।

लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

चूंकि अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी का आवेदन खारिज किया जा चुका है इसलिए उसे अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जाती है।

लिहाजा अपील अपीलांट ग्रहण योग्य नहीं है। अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व मु.संख्या15 स. 6/2006 बअनवान फातमा बनाम लौंगाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2007 को यथावत रखा जाता है।

29/8/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner